

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
रिन्यू सोलर शक्ति फाइव/श्री प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत लक्ष्मण रामावत पुत्र प्रेम प्रकाश रामावत जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड संख्या 7 किले के पास फलौदी तहसील व जिला फलौदी		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (251 ए)

मुकदमा नम्बर 324/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.07.2025	प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता श्री सवाईसिंह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 29.08.25 को पेश हो।	
29.08.25	पत्रावली पेशा जमीन वकील उपस्थित। अधिवक्ता ने सवाईसिंह राठौड़ द्वारा विप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से वकालतनाम पेशा पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 3 से 5 के जवाब व शेष की तामिली हेतु दिनांक 15.09.25 को पेशा हो।	उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर
15.09.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 29.08.25 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर
29.11.25	पत्रावली पेशा वकील जमीन उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 3 से 5 के जवाब व शेष की तामिली हेतु दिनांक 29.11.25 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर



3.12.75

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।

पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के

कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक 2.1.76 को पेश हो।

12.1.76

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।

पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के

कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक 26.2.76 को पेश हो।

26.02.76

पत्रावली पेशा वाकुलम उपस्थित।

पत्रावली नाम्ने विप्राधी संख्या 3 से 5 के अन्तर्

तथा शेष की तापिली हेतु दिनांक 13.03.76

को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

13.03.76

पत्रावली पेशा वाकुलम अनुपस्थित।

पत्रावली में उक्त प्रार्थी हेतु पत्रकारान्

व अधिवक्ता को न्यायालय समय में रुक-रुककर प्रवाजे दी जाते के बावजूद कोई

उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में उक्त प्रार्थी

नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त

पत्रावली इसी स्तर पर अटक वाली व अटक प्रार्थी में खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दायिल दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर